भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1246

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

एपीवाई के तहत बंद किए गए खाते

1246. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में विशेषकर महाराष्ट्र में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत राज्य-वार कितने खाते हैं तथा उक्त योजना के प्रारंभ होने के बाद से बंद किए गए खातों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे खाते अभिदाताओं की स्पष्ट सहमति के बिना खोले गए हैं और यदि हां, तो उक्त मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) विशेषरूप से महाराष्ट्र में वित्तीय बाधाओं या विवरणी से असंतुष्टि के अलावा, ग्राहकों द्वारा खाता बंद करने के कारण तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का भागीदारी बढ़ाने तथा सुनिश्चित विवरणी और मुद्रास्फिति से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए योजना के डिजाइन की समीक्षा और संशोधन करने का विचार है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): दिनांक 30.6.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत सकल नामांकन 7,89,19,845 और महाराष्ट्र में 75,51,130 है। एपीवाई के अंतर्गत सकल नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा और इसकी शुरुआत से बंद किए गए ऐसे खातों का प्रतिशत **अनुबंध क** में दिया गया है।

(ख): एपीवाई के अंतर्गत, अभिदाता एकल-पृष्ठ अभिदाता पंजीकरण फॉर्म के माध्यम से अनुरोध करता है जिसमें उसे बचत खाते ब्यौरा, व्यक्तिगत ब्यौरा और पेंशन का ब्यौरा (पेंशन की राशि और अभिदान की आवृत्ति) का उल्लेख करना होता है तथा आयु और चयनित पेंशन राशि के आधार पर यथा प्रयोज्य बैंक को एपीवाई के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु तक बैंक खाते से डेबिट करने के लिए प्राधिकृत करना होता है।

(ग): एपीवाई खाते को बंद करने के समय अभिदाताओं को खाता बंद करने का कारण बताना पड़ता है। खाता बंद करने के लिए अभिदाताओं द्वारा दिए जाने वाले प्रमुख कारण अभिदान की राशि अदा कर पाने में असमर्थता और निधियों की तत्काल आवश्यकता है।

दिनांक 18.7. 2025 की स्थिति के अनुसार, शुरुआत से प्रतिलाभ 9% से अधिक है।

(घ): एपीवाई के अंतर्गत सहभागिता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वैसे प्रत्येक पात्र अभिदाता के लिए 5 वर्ष की अवधि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, कुल अभिदान का 50% अथवा 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, सहअंशदान किया गया है जो दिनांक 31.03. 2016 से पहले योजना में शामिल हुए थे और जो न तो किसी भी सांविधिक सुरक्षा योजना के सदस्य थे और न ही आयकर दाता थे।

इसके अतिरिक्त, योजना का मूल्यांकन किया गया था और यह निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.10.2022 से योजना को बेहतर तरीके से लक्षित करने के लिए आयकर दाता एपीवाई में शामिल होने का पात्र नहीं है।

एपीवाई एक सुनिश्चित लाभ योजना है और यह अभिदाताओं के लिए निर्धारित न्यूनतम पेंशन गारंटी प्रदान करता है। एपीवाई के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नांकित शामिल हैः-

i. जागरूकता फैलाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में नियतकालिक विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं।
ii. पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम और टाउनहॉल बैठकों का आयोजन किया जाता है।
iii. व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) और बैंकों के फील्ड स्टॉफ, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों, राज्य स्तरीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) की बैंक सखी के लिए वर्चुअल क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि पात्र लाभार्थियों तक एपीवाई का प्रचार किया जा सके।
iv. जागरुकता फैलाने और एपीवाई के कवरेज के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता केंद्र (एनसीएफई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) और एसएलआरएम को काम पर रखना।

*****

अनुबंध-क

"एपीवाई के तहत बंद किए गए खाते" के संबंध में दिनांक 28.7.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1246 के उत्तर में उल्लिखित ब्यौरा

एपीवाई के अंतर्गत राज्य-वार सकल नामांकन और शुरुआत के बाद से बंद किए गए ऐसे खातों का प्रतिशत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	30.06.2025 तक नामांकित	30.06.2025 तक बंद खाते	नामांकित खातों की तुलना में बंद खातों का अनुपात (%)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	13,933	1,398	10.03%
आंध्र प्रदेश	39,49,135	6,98,558	17.69%
अरुणाचल प्रदेश	36,701	3,659	9.97%
असम	18,91,745	2,07,314	10.96%
बिहार	69,75,567	10,26,924	14.72%
चंडीगढ़	77,100	13,768	17.86%
छत्तीसगढ़	14,96,622	1,78,936	11.96%
दिल्ली	9,38,915	1,68,221	17.92%
गोवा	1,09,221	13,923	12.75%
गुजरात	27,95,794	4,16,947	14.91%
हरियाणा	17,47,733	3,56,428	20.39%
हिमाचल प्रदेश	5,78,505	91,932	15.89%
जम्मू और कश्मीर	2,51,705	38,379	15.25%
झारखंड	23,60,738	3,42,895	14.52%
कर्नाटक	44,63,614	5,96,066	13.35%
केरल	15,10,171	2,12,632	14.08%
लद्दाख	6,817	726	10.65%
लक्षद्वीप	3,224	330	10.24%
मध्य प्रदेश	46,46,920	8,41,008	18.10%
महाराष्ट्र	75,51,130	10,56,015	13.98%
मणिपुर	67,830	6,607	9.74%
मेघालय	76,881	8,123	10.57%
मिजोरम	30,107	3,324	11.04%
नागालैंड	39,979	5,672	14.19%
ओडिशा	29,51,999	3,62,507	12.28%
पुडुचेरी	1,03,708	13,624	13.14%
पंजाब	22,91,996	4,84,056	21.12%
राजस्थान	41,79,142	6,46,051	15.46%
सिक्किम	43,826	5,286	12.06%
तमिलनाडु	51,31,275	7,27,973	14.19%
तेलंगाना	24,83,192	3,28,047	13.21%
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	41,663	4,457	10.70%
त्रिपुरा	2,92,787	25,891	8.84%
उत्तर प्रदेश	1,28,54,402	26,41,258	20.55%
उत्तराखंड	8,47,665	1,65,895	19.57%
पश्चिम बंगाल	60,78,103	10,19,470	16.77%
सकल योग	**7,89,19,845**	**1,27,14,300**	**16.11%**

स्रोत: पीएफआरडीए